फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी /प्रार्थी ....मूलसिंह........ बनाम ....अर्जुनसिंह वगैरह........ प्रतिवादी / अप्रार्थीगण

प्रकरण : राजस्व वाद / ~~प्रार्थना पत्र~~ मुकदमा नं. ....57..../2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
-4-22	यह वाद / प्रार्थना पत्र अधीन धारा ..53, 88.. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील श्री ..नरेन्द्र सिंह राठौड़.. ने पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण को जबाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ..22-4-22.. को पेश हो। [signature]	
22/4/22	वकील वादी उपा/प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश कर इकबाली जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं 4 का सम्मन बाद तामील पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रतिवादी सं. 4 गैरहाजिर पक्षकार होने से पत्रावली पर साक्ष्य में वादी मूला सिंह का शपथ-पत्र PW1 पेश किया शामिल रहे। आइन्दा साक्ष्य नहीं कराना चाहते है। साक्ष्य बंद किया जाता है। पत्रावली में बहस हेतु निवेदन किया बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 4/5/2022 को पेश हो।	[signature]
4/5/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता बार संघ का कार्य स्थगन / पीठासीन अधिकारी की मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 11/5/22 को प्रस्तुत करें।	[signature]
11/5/22	वकुलाय उपा वाद वादी का [illegible] स्वीकार किया जाकर [illegible] निरस्त किया जाता है। [illegible] शामिल मिसल [illegible] से लिखवा जाकर [illegible] अथवा पत्रावली PD इन्तजार में दि 30/5/22 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:40 IST
Reason: SelfAttested

30/5/22

...भाव/पक्षकारान के आग्रह...
...ठासीन अ... ... मिटिंग में/अवकाश
अवकाश प... ..., इसलिए प्रकरण
...नके समक्ष दिनांक 28/6/22 को
...श करें (हस्ताक्षर)

28/6/22

अभाव/पक्षकारान के आग्रह...
पीठासीन अधि... ...मी मिटिंग में/अवकाश
अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 29/8/22 को
पेश करें (हस्ताक्षर)

29/8/22 वकुलाय उप। तहसीलदार, जायल से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी को सुना गया। अधिवक्ता वादी ने बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। मिसल वास्ते आदेश 14/9/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

14/9/22 वकुलाय उप। बाद वादी का बंटवारा प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद आप्ता एवं तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद 97/2022
जीसीएमएस नंबर–2022/137
मूलसिंह बनाम् योगेन्द्रसिंह वगैहर

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास सुनील कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 97/2022

गण–
1. मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. गजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
जातियान–राजपूत, निवासीगण–कालवी, तहसील जायल, जिला–नागौर।

बनाम

वादीगण –
1. योगेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. अर्जुनसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. शंकर कंवर पुत्री भंवरसिंह
जातियान–राजपूत, निवासीगण–कालवी, तहसील जायल, जिला–नागौर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

स्थिति :–
1. श्री शैलेन्द्रसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित ।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

दि० 14/9/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री शैलेन्द्रसिंह लवी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ धिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर क्म दिया जाता है कियत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा , 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कालवी के खेत खसरा 80/3, 88/2, 390/23 की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य हसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया ाता है।

1. वादी संख्या 1 मूल सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कावली के खेत खसरा नंबर 80/3 रकबा 7.1548 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ का 4.7698 हैक्टैयर भाग तथा खसरा नंबर 390/23 रकबा 0.0594 हैक्टेयर मे से उतरी पश्चिमी कोने का 0.0148 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 गजेन्द्र सिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कावली के खेत खसरा नंबर 390/23 रकबा 0.0594 हैक्टेयर मे से दक्षिणी पश्चिमी कोने का 0.0148 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 1 योगेन्द्रसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कावली के खेत खसरा नंबर 88 / 2 रकबा 2.4038 हैक्टेयर पूरा तथा खेत खसरा नंबर 390 / 23 रकबा 0.0594 हैक्टेयर मे से उतरी पूर्वी कोने का 0.0149 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 अर्जुनसिह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कावली के खेत खसरा नंबर 80 / 3 रकबा 7.1548 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ का 2.3850 हैक्टैयर भाग तथा खसरा नंबर 390 / 23 रकबा 0.0594 हैक्टेयर मे से दक्षिणी पश्चिमी कोने का 0.0149 हैक्टेयर भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा है।
5. प्रतिवादी संख्या 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
6. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

र्णय आज दिनांक 14/9/22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास ाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा जारी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:40 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जायल जिला – नागौर

भू.अ./प्राथमिक डिकी/2022/5249 दिनांक : 25-8-2022

– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल।

– विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि आपके न्यायालय से जारी प्राथमिक राजस्व वाद संख्या 97/2022 का विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस य में जमा हुआ। अत इस पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सादर प्रेषित है।

ग्न विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:28:40 IST
Reason: SelfAttested